परीक्षा/2014/40000 | परीक्षा प्रपत्र – 33

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र भेजने का अधिकार पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

....

....(राजस्थान)

विद्यालय कोड

क्रमांक – परीक्षा – 1/सैल– /2014/ दिनांक : ....

महोदय/महोदया,

वर्ष 2014 की परीक्षाओं के लिए आपको निम्न निर्देशों के अनुसार आपके विद्यालय के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र अग्रेषित करने हैं।

1. वर्ष 2014 की परीक्षाऐं गुरूवार 6 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होंगी।
2. परीक्षा शुल्क ऑन लाईन व्यवस्था के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकता है। विस्तृत निर्देश परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या 4पर देखें।
3. ऑन लाईन भरे गये मुद्रित परीक्षा आवेदन–पत्र परीक्षा शुल्क के चालान तथा अग्रेषण सूची परीक्षा शुल्क विवरण (परीक्षा प्रपत्र 128) के साथ आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराने हैं।
4. रिक्त आवेदन पत्र विद्यालयों को नहीं भेजे जायेंगे। इनके स्थान पर ऑन लाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की व्यवस्था की गई है जिसके विस्तृत निर्देश परिशिष्ट–3 पर उल्लेखित हैं।

आन लाईन परीक्षा आवेदन–पत्र :–

इस वर्ष सभी विद्यालयों को केवल नमूने का परीक्षा आवेदन–पत्र भेजा जायेगा। विद्यालयों को इसकी फोटो प्रतियां करवाकर परीक्षार्थियों से भरवाये जाने हैं। इन भरे हुए परीक्षा आवेदन–पत्रों के आधार पर यदि विद्यालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हो तो विद्यालय में बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in पर आनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरे जाने हैं अथवा समीप के किसी भी कम्प्यूटर सेन्टर, ई–मित्र केन्द्र पर जाकर ऑन लाईन आवेदन पत्र भरें । आवेदन–पत्र वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णानुसार ही कम्प्यूटर में फीड करावें।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् इसकी चैक लिस्ट प्रिन्ट होगी। इस चैक लिस्ट को आप अच्छी तरह से जांच कर संशोधन करें। ये संशोधन पुनः ऑन–लाईन पर करवाने होंगे। सभी संशोधन होने के पश्चात आपको चालान फार्म एवं अग्रेषण सूची मुद्रित होकर प्राप्त होगी। चालान फार्म पर निर्धारित अन्तिम दिनांक होगी, इस दिनांक तक बैंक में शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

इस चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क निर्धारित अन्तिम तिथियों तक बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की किसी भी शाखा में आनलाईन जमा करावें। बैंक में शुल्क जमा कराते समय चालान के साथ अग्रेषण सूची दो प्रतियों में बैंक में जमा करानी है। बैंक द्वारा चालान की तीन प्रतियां एवं एक अग्रेषण सूची पर मुहर लगाकर वापस दी जायेगी।

चालान द्वारा परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने के बाद बोर्ड वेबसाईट पर ऑनलाईन चालान पर दिये गये ट्रांजेक्शन नम्बर फीड करने के पश्चात् आप परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

विद्यालय को कम्प्यूटर से प्रिन्ट परीक्षा आवेदन–पत्र, चालान की दो प्रतियां एवं अग्रेषण सूची की एक प्रति प्रपत्र 128 के साथ निर्धारित अन्तिम तिथि तक संबंधित नोडल केन्द्र पर जमा कराई जानी है।

विशेष :–(1) ऑन–लाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश परिशिष्ट 3 पर देखें।

(2) निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क बैंक में जमा नहीं कराया जाता है तो परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क सहित स्वीकार किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथियों के पश्चात बैंक किसी भी स्थिति में शुल्क स्वीकार नहीं करेगा।

(3) नोडल केन्द्रों पर ऑनलाईन कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्र ही जमा करावें।

आवेदन–पत्र की पूर्ति, आवेदन करने की तिथियां, परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्रों का प्रेषण, पात्रता प्रमाण–पत्र, राजस्थानी अध्ययन व समाज सेवा विषयों की तथा अन्य जानकारी हेतु कृपया परिशिष्ट 1 से 6 का भली भांति अध्ययन कर लें :–

परिशिष्ट – 1	आवेदन पत्र भरने, परीक्षा शुल्क व अन्तिम तिथियां एवं परीक्षा शुल्क ऑन लाईन जमा कराने की विधि।
परिशिष्ट – 2	अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जानकारी।
परिशिष्ट – 3	आवेदन–पत्रों की पूर्ति, अग्रेषण सूची, ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन पत्र नोडल विद्यालय पर जमा कराने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी।
परिशिष्ट – 4	आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् केन्द्र/विषय परिवर्तन संबंधी जानकारी।
परिशिष्ट – 5	नियमित परीक्षार्थी को प्रवेशाज्ञा देने संबंधी नियम।
परिशिष्ट – 6	अन्य प्रमुख निर्देश
परिशिष्ट – 7	शाला प्रधान के द्वारा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित नियम।
परिशिष्ट – 8	चिकित्सा प्रमाण पत्र विकलांगों हेतु।

अति आवश्यक निर्देश :–

1. परीक्षा अग्रेषण शुल्क रू. 20/– प्रति परीक्षार्थी कर दिया गया है। अतः ऑनलाईन डेटा फीडिंग विद्यालयों को उक्त राशि में से करनी होगी। यदि अधिक राशि लगती है तो विद्यालय को अपने स्तर पर वहन करनी होगी। बोर्ड को निर्धारित पूरा परीक्षा शुल्क भेजना आवश्यक है।
2. ऑनलाईन मुद्रित परीक्षा आवेदन – पत्र, परीक्षा शुल्क की चालान रसीद तथा अग्रेषण सूची इत्यादि परीक्षा प्रपत्र – 125 ''आवेदन–पत्र भेजने के निर्देश'' के अनुसार अन्तिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जावे। नोडल केन्द्र पर आवेदन–पत्र जमा कराने हेतु जाने वाले कर्मचारी को देय वास्तविक वाहन व्यय अग्रेषण शुल्क की राशि से वहन किया जायेगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. सभी विद्यालय/अग्रेषणअधिकारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक को परीक्षा शुल्क बैंक में तथा परीक्षा आवेदन पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराना आवश्यक है।
4. यदि कोई विद्यालय/अग्रेषण अधिकारी बैंक में निर्धारित दिनांक तक शुल्क जमा करा देता है। किन्तु आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक नोडल केन्द्र पर जमा नहीं करा पाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऐसे प्रकरण में बैंक में जमा करवाई राशि में से 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के काट कर शेष राशि विद्यालय/अग्रेषण अधिकारी को लौटा दी जावेगी। इससे परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी की होगी।
5. सामान्य परीक्षा शुल्क तथा दुगुने परीक्षा शुल्क का आपस में समायोजन नहीं किया जायेगा।
6. बोर्ड कार्यालय में डाक द्वारा आवेदन–पत्र/शुल्क का चालान रसीद स्वीकार नहीं होंगे। इन्हें वापस लौटा दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। इन्हें नोडल केन्द्र पर ही जमा कराना है। इसे अति आवश्यक समझें।

7. निर्धारित तिथि को आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क जमा कराने की चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

8. नव क्रमोन्नत विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड आवंटितं नहीं हुआ है तथा ऑनलाईन सूची में जिनका नाम नहीं है उन विद्यालयों का परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे जो अन्य बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए निकटतम/आवंटित नोडल विद्यालय पर जमा करावें। अन्य सभी विद्यालयों को परीक्षा शुल्क ऑन लाईन व्यवस्था में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में चालान से जमा कराना अनिवार्य है।

9. अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की तिथि समाप्त होने के पश्चात आवेदन–पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जावेंगे। यह शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

10. बैंक द्वारा प्रति चालान रू. 40/– चार्ज किया जावेगा। इस राशि का भुगतान अग्रेषण शुल्क से किया जाना है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

परिशिष्ट – 1

1. **(i) आवेदन–पत्र भरने व शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथियां :–**

परीक्षा शुल्क के प्रकार	परीक्षा शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	बैंक में जमा कराने की तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क (कोड A)	450/–	50/–	21.08.2013	22.08.2013	30.08.2013
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	900/–	50/–	05.09.2013	06.09.2013	13.09.2013

(ii) पूरक परीक्षा से अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण व शुल्क जमा कराकर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिये :–

1. सामान्य परीक्षा शुल्क (कोड A)	450/–	50/–	07.10.2013	08.10.2013	15.10.2013
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	900/–	50/–	14.10.2013	15.10.2013	21.10.2013

(iii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क– रू. 50/– प्रति प्रायोगिक विषय (परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त) देय है।

नोट :– (1) निर्धारित तिथि को आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची परीक्षा प्रपत्र 128 के साथ नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

(2) कृपया उपर्युक्त तिथियों के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं करें। परीक्षार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क को अलग कैश बुक में लिखें। शाला प्रधान उपर्युक्त निश्चित तिथि को ऑनलाईन मुद्रित Approved आवेदन पत्र अग्रेषण सूची व परीक्षा शुल्क चालान रसीद सहित नोडल केन्द्र पर जमा करा दें।

2. परीक्षा आवेदन पत्र, शुल्क जमा करने व प्रेषण के संबंध में आवश्यक निर्देश :–

ऑनलाईन मुद्रित Approved आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क का चालान रसीद दोनों एक साथ नोडल केन्द्र पर जमा कराने होंगे। केवल आवेदन–पत्र अथवा केवल शुल्क का चालान रसीद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. परीक्षा शुल्क ऑन लाईन जमा कराने संबंधी विस्तृत निर्देश :–

नोटः– अधिकृत बैंकों का नाम – समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा के परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु बैंक ड्राफ्ट बनवाये जाने के स्थान पर नई व्यवस्था के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में परीक्षा शुल्क ''ऑनलाईन'' नकद जमा किया जायेगा। **<u>अन्य कोई बैंक इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं है।</u>**

परीक्षा शुल्क ''ऑन लाईन'' जमा कराने हेतु आपसे निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित है :–

अ. चालान फॉर्म–

चालान फार्म का मुद्रण वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन–पत्र अपलोड करने के पश्चात कम्प्यूटर द्वारा ही मुद्रित किया जायेगा जिस पर परीक्षा शुल्क विवरण Validity date एवं कुल राशि भी मुद्रित होगी। चालान पर बैंक A/c भी मुद्रित होगा। बैंक A/c पृथक से नहीं लिखना है। यह चार प्रतियों में होगा। एक प्रति बैंक रखेगा तथा तीन प्रतियां आपको लौटाई जायेगी। इनमें से 1 व 2 नम्बर की प्रति आपको परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कर नोडल केन्द्र पर जमा करानी है तथा एक प्रति आपके पास रहेगी।

ब परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराना –

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित चालान फार्म, परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची (दो प्रतियों में) के साथ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में ब्रांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नकद राशि कैश काउण्टर पर जमा करावें जहां आपको शुल्क जमा कर चालान की 3 प्रतियां मय Transaction No. एवं अग्रेषण सूची की एक प्रति बैंक की मोहर लगाकर लौटाई जायेंगी।

स. Transction No. Feed करके परीक्षा आवेदन–पत्र मुद्रित करना –

जिस चालान नं. द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराया जायेगा, बैंक द्वारा चालान पर बैंक की मोहर व Transaction No. लिखा जायेगा। चालान फार्म पर अंकित Transaction No. को कम्प्यूटर में फीड करने के पश्चात ही Approved आवेदन पत्र मुद्रित किये जा सकेंगे।

द. Online भरे गये परीक्षा आवेदन–पत्रों में रही त्रुटियों के संशोधन हेतु पुनः लगभग 7 दिवस का समय दिया जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। इस अवधि में निःशुल्क Online संशोधन किये जा सकेंगे। इस अवधि के पश्चात संशोधन शुल्क लेकर ही संशोधन किया जा सकेगा।

य. बोर्ड को शुल्क की रसीद एवं अग्रेषण सूची का प्रेषण –

बैंक में चालान फॉर्म द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद **लौटाई गई 3 प्रतियों में से** कमांक 3 वाली प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रखें क्रमांक 1 व 2 प्रतियां, ऑन लाईन मुद्रित Approved आवेदन पत्र, अग्रेषण सूची तथा प्रपत्र 128 निर्धारित तिथियों तक नोडल केन्द्र पर जमा करवायें।

नोट :–(1) **प्रत्येक चालान के साथ रू. 40/– बैंक में पृथक से जमा कराना होगा। इस राशि का भुगतान अग्रेषण शुल्क राशि में से किया जावेगा।**

> **कृपया विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के अगले दिन परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा देवें। नियत तिथि उपरान्त शुल्क बैंक द्वारा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। शुल्क जमा न होने की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय स्वयं की होगी।**

5. नव क्रमोन्नत विद्यालय हेतु विशेष निर्देश :–

1. जिन नव कमोन्नत विद्यालयों को विद्यालय कोड आवंटित नहीं हो पाया है तथा जिनका नाम वेबसाइट की आनलाईन सूची में नहीं है, उन नवकमोन्नत विद्यालयों के परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाये। निर्धारित अन्तिम तिथि तक परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट बनवाकर परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ नोडल केन्द्रों पर जमा करायें। इन आवेदन–पत्रों को शाला प्रधान अपने हस्ताक्षर कर शाला की मोहर लगाकर प्रमाणित करें। ड्राफ्ट कमीशन का वहन अग्रेषण शुल्क राशि में से किया जायेगा। जिन नव कमोन्नत विद्यालयों के नाम बोर्ड की वेबसाइट पर हैं उनको ऑनलाईन शुल्क जमा कराना अनिवार्य है, उनका परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा। नव क्रमोन्नत विद्यालय प्रपत्र 128 में यथा स्थान अपने निकटतम दो परीक्षा केन्द्रों का नाम जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से अनुमोदित कराकर अवश्य अंकित करें।

6. सामान्य निर्देश :–

(1) **परीक्षा शुल्क बोर्ड कार्यालय में नकद राशि, पोस्टल ऑर्डर अथवा चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(2) प्रत्येक अंतिम तिथि के बाद विद्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ लिपिक / अध्यापकों से पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें कि कोई आवेदन–पत्र तथा शुल्क की रकम भूल से कहीं रखी तो नहीं रह गई है और जितने आवेदन–पत्र आये हैं वे सभी यथास्थान हैं और जितना शुल्क आया उन सभी का बैंक में जमा करा कर चालान रसीदें तीन प्रति में प्राप्त हो गई हैं। कृपया अपने विद्यालय के संबंधित लिपिक व अध्यापक से अपना–अपना रिकार्ड व अलमारी अच्छी तरह से दिखा लें एवं उनसे अंतिम तिथि के बाद लिखवाकर रख लें कि उनके पास कोई आवेदन–पत्र अथवा शुल्क नहीं रखा हुआ है।

(3) आवेदन–पत्र संबंधी कार्यो पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण करने के लिय रु. 20/– प्रति परीक्षार्थी अग्रेषण शुल्क आप अलग से छात्रों से ले लें। इस राशि का उपयोग बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य एवं इन्हें प्रेषण हेतु ही करें। अग्रेषण शुल्क का वितरण शाला प्रधान को रु 2.50 परीक्षा प्रभारी/सहयोगी को रु. 2.00 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु. 1.00 तथा शेष राशि परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने, आवेदन–पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराने एवं बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराने का कमीशन आदि के लिये रु. 14.50 किया गया है।

(4) निर्धारित तिथियों तक परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें। उसके पश्चात् बैंक किसी भी स्थिति में उक्त शुल्क जमा नहीं कर सकेगा।

नोट :– (1) समय पर आवेदन पत्र/शुल्क नहीं जमा कराने को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा जमा होने की दिनांक के अनुसार अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जावेगा। सभी अंतिम तिथियों के बाद आवेदन पत्र एवं शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

(2) उपरोक्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। अतः समाचार पत्र देखते रहें।

7. शुल्क में छूट :–

दृष्टिहीन परीक्षार्थी/विकलांग/युद्ध में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों को परीक्षा शुल्क, श्रुतलेखक शुल्क तथा वीक्षक शुल्क देने से मुक्त रखा गया है। किन्तु टोकन शुल्क रूपये 45/– जमा कराना होगा।

दृष्टिहीन परीक्षार्थी के आवेदन पत्र पर आप दृष्टिहीन होने का उल्लेख कर दें तथा राजकीय चिकित्सालय/औषधालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न कर दें। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के आवेदन पत्र के साथ भी इस बात की पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। विकलांग परीक्षार्थियों को भी बोर्ड परीक्षा शुल्क देने से मुक्ति प्रदान

की गई है। विकलांग परीक्षार्थी की परिभाषा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिए निर्धारित की गई परिभाषा मानी जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांगों को निर्धारित प्रपत्र में जारी किये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे परीक्षार्थियों को जिन्हें परीक्षा शुल्क देने से मुक्त कर दिया है, उन्हें टोकन शुल्क रू. 45/– नियमानुसार देना होगा। आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के लिए निर्धारित तिथि के बाद अग्रेषित किए गए हैं तो उन्हें नियमानुसार टोकन शुल्क के साथ एक सामान्य परीक्षा शुल्क 450/– रूपये भी देना होगा। ऐसे परीक्षार्थी यदि केन्द्र/वर्ग/विद्यालय/विषय/श्रेणी परिवर्तन कर आवेदन करते हैं तो उनसे भी एक सामान्य परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

परिशिष्ट – 2

<u>अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों के अभ्यार्थियों को पात्रता प्रमाण–पत्र</u>

अति आवश्यक :–1 **परीक्षार्थी कक्षा 11 अथवा कक्षा 12, जिस कक्षा में प्रवेश ले, प्रवेश से पूर्व बोर्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक परीक्षा के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक भरनी होगी तथा परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न कर नोडल केन्द्र पर जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी एवं शाला प्रधान की होगी।**

2. Online परीक्षा आवेदन पत्र में पात्रता प्रमाण–पत्र क्रमांक एवं दिनांक सही भरें। त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी क्रमांक / दिनांक भरने पर परीक्षा आवेदन–पत्र निरस्त कर विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

1. **पात्रता प्रमाण–पत्र :–**

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं शुल्क :–

पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क –

1. कक्षा 12 (उच्च माध्यमिक)

सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक –	100/– रुपये
दोगुने पर परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक –	200/– रुपये
असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक –	300/– रुपये
विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो	500/– रुपये

यदि कोई विद्यालय अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा 10/11 उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11/12 में बिना पात्रता प्रमाण–पत्र के प्रवेश देता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी (1000/– रुपये) दण्ड राशि भी ली जावेगी। जो शाला को वहन करनी होगी।

2. कक्षा 11 हेतु

1.	30 नवम्बर 2013 तक सामान्य शुल्क –	100/– रुपये
2.	30 नवम्बर 2013 के पश्चात विलम्ब शुल्क (रुपये 200/– सहित)	300/– रुपये

2. **कैसे प्राप्त करें पात्रता प्रमाण–पत्र :–**

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा–10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना पात्रता प्रमाण प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। पात्रता प्रमाण पत्र निम्नांकित आधार पर प्राप्त किया जा सकता है :–

(अ) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त सभी शालाओं में उपलब्ध है।

(ब) पात्रता संबंधी नियमों हेतु इस वर्ष की विवरणिका देखें।

(स) कक्षा 11 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यार्थियों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये कक्षा 10 की मूल अंकतालिका व प्रति–हस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र अथवा प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रतिलिपि मय एक–एक सत्यापित फोटो प्रति के संलग्न करनी होगी। परन्तु कक्षा 12 में नियमित प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को उक्त प्रलेखों के साथ कक्षा 11 उत्तीर्ण की अंकतालिका (मूल प्रति मय एक सत्यापित फोटो प्रति के) भी संलग्न करनी होगी।

(द) पात्रता प्रमाण–पत्र उक्त प्रलेखों के साथ शुल्क जमा कराकर बोर्ड कार्यालय में उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है।

3. क्या परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ मूल पात्रता प्रमाण–पत्रलगाना आवश्यक है? हाँ, परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ मूल पात्रता प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरते समय पात्रता, क्रमांक एवं दिनांक भी फीड करनी होगी अन्यथा परीक्षा आवेदन–पत्र नहीं भरा जा सकेगा। त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी पात्रता प्रमाण–पत्र क्रमांक / दिनांक भरने पर परीक्षा आवेदन–पत्र निरस्त कर शाला प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट – 3

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

वर्ष 2014 की परीक्षाओं के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाईन भरवाये जा रहे हैं । इस व्यवस्था से कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा समय की भी बचत होगी ।

1– क्या है ऑनलाईन आवेदन–पत्र व्यवस्था ?

बोर्ड द्वारा बोर्ड की वेबसाईट **http://rajeduboard.nic.in** के माध्यम से परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाईन भरने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु बोर्ड वेबसाईट पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन के लिंक पर Login (लॉगिन) करके आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे।

2– Login (लॉगिन) कैसे होगा ?

सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा Login ID (लॉगिन आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) दिया जा रहा है। Login ID (लॉगिन आई.डी.) ही विद्यालय का स्थाई कोड है जो 7 अंकों में है। एक बार Login (लॉगिन) करने के पश्चात् Password (पासवर्ड) परिवर्तित किया जा सकेगा।

नोट :– 1– सभी विद्यालयों को 7 अंकों का स्थाई कोड दिया गया है। यह कोड ही आपका User ID (यूजर आई. डी.) है। आप अपने स्थाई कोड का ही भविष्य में प्रयोग करें तथा विद्यालय की सील में भी यही कोड रखा जावे।

2– सभी विद्यालय अपना User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) अवश्य याद रखें तथा इसे गोपनीय रखें। सुरक्षा की दृष्टि से इसे पहली बार लोगिन करने के पश्चात् अपना पासवर्ड बदल दें।

पासवर्ड पूरे वर्ष संभाल कर रखें। पूरक परीक्षा के समय भी इस पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

3– परीक्षा आवेदन–पत्र कैसे भरे जायेंगें ?

सभी विद्यालयों को एक रिक्त परीक्षा आवेदन–पत्र का नमूना भेजा जा रहा है। यह नमूना बोर्ड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस नमूने के आवेदन–पत्र की फोटो प्रतियाँ करवाकर प्रत्येक

परीक्षार्थी से भरवावें। इन पर परीक्षार्थी का फोटो भी लगेगा तथा हस्ताक्षर भी होंगे। फोटो पर शाला प्रधान को हस्ताक्षर नहीं करना है। इन परीक्षा आवेदन–पत्रों की पूर्ति विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिये, यह सुनिश्चित कर लें।

बोर्ड द्वारा भेजे गये User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) से ही बोर्ड वेबसाईट पर Login किया जा सकेगा, यदि आपके विद्यालय में इंटरनेट सुविधा है तो विद्यालय से ही ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरें जा सकेगें। यदि इंटरनेट सुविधा आपके विद्यालय में नहीं हो तो विद्यालय में यह सुविधा प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है। और यदि यह संभव नहीं हो तो परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा आवेदन–पत्र एवं बोर्ड से भेजा गया User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) का लिफाफा लेकर समीप के किसी ई–मित्र, क्योस्क अथवा कम्प्यूटर सेन्टर पर जावें। अपने साथ विद्यालय की दूरभाष संख्या, गत वर्ष का परीक्षा केन्द्र, गत वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या इत्यादि सूचना साथ ले जावें। बोर्ड की वेबसाईट http://rajeduboard.nic.in पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन के लिंक पर क्लिक करें तथा दिये गये User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) से Login (लॉगिन) करें। साईट खुलने पर अपना Password (पासवर्ड) परिवर्तित करें। Login (लॉगिन) सफलता पूवर्क होने पर कम्प्यूटर पर आपके विद्यालय का स्थायी कोड़ व विद्यालय के नाम की पुष्टि करलें। इसके पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(अ) **विद्यालय प्रोफाईल भरना –** सर्वप्रथम विद्यालय के प्रोफाईल की पूर्ति करें। जिसमें शाला प्रधान का नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल नम्बर, गत वर्ष का परीक्षा केन्द्र एवं गत वर्ष की परीक्षार्थियों की संख्या आदि आवश्यक सूचनायें भरी जानी है। इनकी पूर्ति ध्यानपूर्वक करें।

(ब) **परीक्षा आवेदन पत्र भरना –** विद्यालय प्रोफाईल भरने के पश्चात् विद्यालय के परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाईन भरे जाने हैं। यह आवेदन–पत्र आप अपने साथ पूर्व में भरे हुए लाये गये आवेदन–पत्रों के आधार पर भरे जायेंगे। परीक्षा आवेदन–पत्रों की पूर्ति परीक्षा वर्गवार एवं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार भरें।

(स) **चैकलिस्ट प्राप्त करना –** सभी आवेदन–पत्रों की पूर्ति के पश्चात् उनका प्रिन्ट आउट क्रमानुसार निकलवा लें। इन प्रिन्ट आउट्स की जाँच मूल आवेदन–पत्रों से भली–भांति कर लें तथा आवश्यक संशोधन करें।

(द) **चैकलिस्ट के आधार पर संशोधन –** मूल परीक्षा आवेदन–पत्रों के आधार पर जो भी संशोधन अपेक्षित हों, ऑनलाईन डाटा में संशोधन करावें तथा सभी आवश्यक संशोधन होना सुनिश्चित करें।

(य) **चालान फार्म व अग्रेषण सूची प्रिण्ट करना –** सभी संशोधन पूरे होने के पश्चात् Data Lock (डाटा लॉक) करने के लिए Data Lock (डाटा लॉक) को क्लिक करें एवं बैंक का चयन करें। उसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा । Data Lock (डाटा लॉक) करने के पश्चात् चालान फार्म तथा परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची प्रिन्ट करें।

(र) Online परीक्षा आवेदन–पत्रों के Date में संशोधन हेतु एक अन्तिम अवसर लगभग 7 दिवस का, समय देते हुए दिया जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रो के माध्यम से दी जायेगी, इस अवधि में निःशुल्क संशोधन किया जा सकेगा।उसके पश्चात संशोधन शुल्क लेकर ही संशोधन किया जायेगा।

विशेष – डाटा लॉक करने से पूर्व चैकलिस्ट के आधार पर संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। डाटा लॉक करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क चालान द्वारा जमा कराना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश लॉक डाटा का चालान जमा नहीं करवाया जा सकता है तो उस चालान को वेबसाईट पर निरस्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा शेष आवेदन पत्र ऑनलाईन नहीं भरे जा सकेंगे।

4– परीक्षा शुल्क जमा कराना :–

परीक्षा शुल्क चालान 4 प्रतियों में मय शुल्क विवरण प्राप्त होगा। चालान के साथ परीक्षार्थियों की अग्रेषण सूची भी दो प्रतियों में मुद्रित की जानी है। चालान पर Validity Date (वैध तिथि) कम्प्यूटर द्वारा अंकित होगी। इस तिथि तक चालान बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में जाकर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। चालान, अग्रेषण सूची की दो प्रतियाँ एवं परीक्षा शुल्क नकद बैंक में जमा कराना है।

बैंक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् अग्रेषण सूची की एक प्रति पर बैंक की सील लगाकर तथा चालान फार्म की 3 प्रतियाँ वापस लौटा दी जायेगी। बैंक द्वारा चालान फार्म पर एक Transaction No. (ट्रांजेक्शन नम्बर) अंकित किया जायेगा।

5– परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन मुद्रित करना :–

परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् पुनः बोर्ड की वेबसाईट पर Login (लॉगिन) करें। चालान फार्म पर अंकित Transaction No. (ट्रांजेक्शन नम्बर) जो कि बैंक द्वारा भरा गया है, कम्प्यूटर में फीड करें। Transaction No. (ट्रांजेक्शन नम्बर) फीड करने के पश्चात् आप ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

इन ऑनलाईन मुद्रित परीक्षा आवेदन–पत्रों को प्रमाणित कर आपको हस्ताक्षर करने हैं तथा विद्यालय की सील अंकित करनी है। प्रत्येक परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी है।

विशेष – बोर्ड द्वारा Approved आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे, अतः परीक्षा शुल्क जमा कराने व Transction ID फीड के पश्चात् ही Approved आवेदन–पत्र मुद्रित कर नोडल केन्द्र पर जमा करावें।

6– ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र, अग्रेषण सूची तथा चालान की प्रतियाँ नोडल केन्द्र पर जमा कराना :–

बैंक द्वारा सील लगाकर दी गई अग्रेषण सूची की एक फोटो प्रति करवा कर अपने पास सुरक्षित रखें। मूल प्रति, ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र मय प्रलेखों की प्रमाणित प्रति एवं चालान की दो प्रतियाँ प्रपत्र 128 के साथ अपने समीप के नोडल केन्द्र पर जमा करावें।

7– एक से अधिक बार ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरना :–

आप एक से अधिक बार भी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भर सकते हैं। इसके लिये अग्रेषण सूची में परीक्षार्थियों की क्रम संख्या पूर्व सूची के आगे से चलेगी। अर्थात पूर्व सूची में यदि 100 परीक्षार्थी थे तो इस अग्रेषण सूची में क्रमांक 101 से आगे भरे जायेंगे।

अग्रेषण सूची में क्रमांक परीक्षा वार भिन्न–भिन्न भरे जायेंगे किन्तु एक प्रकार की परीक्षा में लगातार चलेंगे।

दुबारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के लिये पुनः क्रम संख्या 2 से 5 तक की प्रकिया अपनावें ।

8– दुगुने परीक्षा शुल्क के आवेदन–पत्र भरना :–

Double (दुगुने) परीक्षा शुल्क के आवेदन–पत्रों की अग्रेषण सूची की क्रम संख्या भी सामान्य परीक्षा शुल्क की सूची की अन्तिम क्रम संख्या के आगे से चलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि सामान्य परीक्षा शुल्क के आवेदन–पत्र 153 भरे गये हैं तो Double (दुगुने) परीक्षा शुल्क की अग्रेषण सूची की क्रम संख्या 154 से प्रारम्भ होगी।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया क्रम संख्या 2 से 5 के अनुसार ही रहेगी। विद्यालय का प्रोफाईल दुबारा फीड नहीं करना है। इसमें संशोधन हो तो किये जा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें :–

1– अपना User ID (यूजर आई.डी.) तथा Password (पासवर्ड) संभाल कर सुरक्षित रखें। यह गोपनीय है अतः अपना Password (पासवर्ड) किसी को नहीं बतावें।

विशेष – अपना Password (पासवर्ड) वर्षभर संभाल कर रखें। पूरक परीक्षा के समय भी यही Password काम आयेगा।

2– प्रथम बार Login (लॉगिन) करने के पश्चात् सुरक्षा की दृष्टि से अपना Password (पासवर्ड) बदल दें।

3– परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन–पत्रों की सभी प्रविष्टियों का सत्यापन विद्यालय रिकॉर्ड से अवश्य कर लें।

4– चालान फार्म पर दी गई Validity Date (वैध तिथि) का अवश्य ध्यान रखें। इस तिथि के पश्चात् बैंक में शुल्क जमा नहीं होगा। इसके लिये नया चालान फार्म निकलवाना पड़ेगा जो दुगुने परीक्षा शुल्क का होगा।

5– परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् कम्प्यूटर से मुद्रित चालान के आधार पर ही जमा कराया जा सकेगा। अन्य किसी भी चालान से शुल्क जमा नहीं होगा।

6– बोर्ड की वेबसाईट पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने संबंधी सभी निर्देश उपलब्ध हैं उनका भली–भांति अध्ययन कर लें।

7– परीक्षा आवेदन–पत्र भरने से पहले बोर्ड द्वारा प्रकाशित विवरणिका वर्ष 2014 का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें। विवरणिका बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

8– ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र भरने का समस्त व्यय अग्रेषण शुल्क से वहन करना होगा। यदि राशि कम पड़ती है तो शाला को वहन करनी होगी।

9– आपको भेजे गये नये 7 अंकों के स्थाई विद्यालय कोड का उपयोग करें। विद्यालय की सील में भी यही कोड रखा जावे।

10– अपने नोडल केन्द्रों की जानकारी प्राप्त कर लें। नोडल केन्द्रों की सूची बोर्ड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

11– वेबसाईट पर परीक्षा आवेदन–पत्र भरने में किसी प्रकार की समस्या हो अथवा जानकारी प्राप्त करनी हो तो हेल्पलाईन/कन्ट्रोल रूम पर सम्पर्क करें।

विशेष:– ***जिन नवक्रमोन्नत विद्यालयों को स्थायी विद्यालय कोड़ आवंटित नहीं हुआ हैं अथवा जिनका नाम बोर्ड वेबसाईट की लिस्ट में नहीं हैं वे ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगें। ऐसे विद्यालय नमूनें के परीक्षा आवेदन पत्रों की फोटों प्रति करवाकर परीक्षार्थियों से भरवावें तथा शाला प्रधान प्रमाणित करें। निर्धारित तिथियों में परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट बनवाकर परीक्षा आवेदन पत्र, अग्रेषण सूची तथा परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट नोडल केन्द्र पर जमा करावें।***

1. ऑन लाईन भरे गये मुद्रित आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख संलग्न किये जावें :–

(1) माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा के लिये :–
उत्तीर्ण/क्रमोन्नत/प्रोनन्त/कक्षोन्नत की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।

(i) कक्षा–9 उत्तीर्ण की अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ii) इस वर्ष नये प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत शाला की टी. सी. की वर्तमान शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

या

(iii) कक्षा–10 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(2) उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये :–

(i) कक्षा–10 एवं कक्षा–11 उत्तीर्ण की अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ii) इस वर्ष नये प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्त के अलावा गत शाला की टी. सी. की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।

या

(iii) कक्षा–12 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अंकतालिका की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

नोट :– आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थियों की टी. सी. तथा अंकतालिका का प्रमाणीकरण पूर्व शाला से अवश्य करा लें। यदि ये प्रलेख गलत/फर्जी पाये जाते हैं तो शाला प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए शाला के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस कार्यवाही में आपकी शाला की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

(3) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी मूल पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

2. आवेदन पत्रों की पूर्ति के संबंध में ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

(1) सभी शाला प्रधानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परीक्षार्थियों की सभी सूचनाओं की पुष्टि मूल अभिलेखों अथवा शाला रिकार्ड से कर ली गई है तथा परीक्षार्थियों ने वही विषय लिए हैं जिनमें विद्यालय को मान्यता प्राप्त हैं।

(2) समस्त परीक्षार्थी (जिनमें छात्राएं भी सम्मिलित हैं) अपना नवीनतम फोटो आवेदन–पत्रों पर लगायेंगे। जिसे कम्प्यूटर द्वारा स्केन किया जायेगा। परीक्षार्थी व विद्यालय प्रधान दोनों को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने हैं। आवक्ष चित्र को स्टेपलर/आलपिन से नहीं लगायें। इसे गोंद से अच्छी तरह चिपकाएं।

(3) **अग्रेषण सूची :–** आपको कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित अग्रेषण सूची (प्रपत्र सं.–91) दो प्रतियों में प्राप्त होगी। एक प्रति आवेदन पत्रों के साथ नोडल केन्द्र पर जमा करा दें तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें। अग्रेषण सूचियां निम्नानुसार अलग–अलग बनवायें :–

(i) **विज्ञान, कृषि वर्ग :–** पहले विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी, इसके पश्चात् कृषि वर्ग के परीक्षार्थियों के नाम सूची में लिखें।

(ii) **कला वर्ग :–** कला वर्ग के परीक्षार्थी

(iii) **वाणिज्य वर्गः–** वाणिज्य वर्ग के परीक्षार्थी

परीक्षार्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें।

3. आवेदन पत्रों का नोडल केन्द्र पर प्रेषण :–

(1) परिशिष्ट–1 में दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक अंतिम तिथि के बाद अगले कार्य दिवस को ही परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी समीप के बैंक की निकटतम शाखा में जमा कराकर चालान रसीदें 3 प्रतियों में प्राप्त कर लें। तालिका में दी गई तिथियों तक निम्नानुसार निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा करा दें–

(अ)	परीक्षा शुल्क अग्रेषण पत्र	(प्रपत्र–128) – दो प्रतियों में
(ब)	शुल्क चालान रसीद	इसमें अतिरिक्त विषय (परि. 4) तथा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क भी शामिल करें
(स)	अग्रेषण सूची	वर्ग वार (परिशिष्ट 3 के अनुसार)
(द)	ऑन लाईन भरे गये मुद्रित आवेदन पत्र	अग्रेषण सूची के अनुसार वर्गवार
(य)	पात्रता प्रमाण–पत्र (मूल)	यदि अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

नोट :–

(i) आवेदन पत्रों और कम्प्यूटर डाटा फार्म को बिना मोड़े सीधे रखकर ही पार्सल बनाएं।

(ii) प्रपत्र–128 तीन प्रतियों में बनावें। दो प्रति आवेदन पत्रों के साथ लगावें तथा तीसरी प्रति पर नोडल विद्यालय से रसीद प्राप्त करें।

(iii) आवेदन–पत्र/परीक्षा शुल्क की चालान रसीदें आप निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा करावें। बोर्ड में डाक द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन–पत्र/शुल्क की चालान रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी, अतः नहीं भेजें।

परिशिष्ट – 4

1. विद्यालय/केन्द्र/विषय परिवर्तन :–

सैकण्डरी स्कूल/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात अभिभावक के स्थानान्तरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र परीक्षा केन्द्र/विद्यालय/विषय/श्रेणी/वर्ग/परिवर्तन करना चाहे तो नियमित परीक्षार्थी विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

(1) केन्द्र/विद्यालय/वर्ग/श्रेणी परिवर्तन हेतु
एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन :– अंतिम तिथि – 30 नवम्बर 2013 तक

(2) केवल केन्द्र/विद्यालय परिवर्तन हेतु दुगने परीक्षा शुल्क सहित अंतिम तिथि –31दिसम्बर 2013 तक (केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन/विद्यालय परिवर्तन/प्राकृतिक आपदा की स्थिति में)

(i) नियमित परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय परिवर्तन करने पर चाहे उसका केन्द्र परिर्वतन हो या न हो उसे एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा।

(ii) 31 दिसम्बर के बाद सामान्यतः केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(iii) परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।

1. 30 नवम्बर तक प्रति विषय परिवर्तन हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
3. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/– रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
4. केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क रुपये 2000/– प्रति विषय लिया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना बोर्ड को व्यक्तिशः देनी होगी अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यह परीक्षा शुल्क परीक्षा केन्द्रों पर जमा नहीं होगा। केवल बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना होगा।
5. नियमित परीक्षार्थी के लिए विद्यालय से यह प्रमाणित होने पर कि परीक्षार्थी ने वर्ष भर वही विषय पढ़ा है तथा अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा भी उसी विषय में दी है जिसका परिवर्तन चाहता है विषय परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी।

नोट : 1. प्रायोगिक विषयों के लिये प्रति विषय 50/– रुपये अतिरिक्त जमा कराना होगा।
2. 31 दिसम्बर के पश्चात् सामान्यतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट :– (i) नियमित परीक्षार्थियों के लिए केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के माध्यम से प्राप्त होना आवश्यक है, इस प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व विद्यालय की टी. सी. वर्तमान विद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र एवं एस. आर. की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति शुल्क सहित संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विकलांग (निःशक्त) छात्र द्वारा यदि केन्द्र/विषय/वर्ग/श्रेणी/विद्यालय परिवर्तन किया जाता है तो एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा।

(iii) यदि उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की जाती है तो परीक्षार्थी का केन्द्र परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा। बिना शुल्क के प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) बोर्ड परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के बाद बोर्ड नियमानुसार शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना कोई छात्र विद्यालय को छोड़कर उसी नगर के किसी अन्य विद्यालय में उसी सत्र में प्रवेश नहीं ले सकेगा। अतः बिना जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के ऐसे स्थानान्तरण पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(v) नव क्रमोन्नत विद्यालय अपने जिला शिक्षा अधिकारी से परीक्षा केन्द्रों हेतु दो स्थानों का अनुमोदन, भरवाकर Online सूचना में भरें।

(vi) जिन विद्यालयों का परीक्षा केन्द्र अधिक दूरी पर है वे जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) से सम्पर्क कर इसका समाधान करावे।

परिशिष्ट – 5

1. बोर्ड परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों को प्रवेशाज्ञा के सामान्य नियम :–

(1) नियमित परीक्षार्थी निम्नांकित परीक्षा श्रेणियों (केटेगरी) में आवेदन कर सकते हैं :–

श्रेणी I– सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी II– श्रेणी सुधार हेतु सम्पूर्ण विषयों में पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। इस श्रेणी में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

श्रेणी IV– मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अतिरिक्त विषय संबंधी नियम।

1. उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षार्थी को इस परीक्षा के किसी भी संकाय में कोई भी विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित विषयों में ही अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को प्रवेशिका से संबंधित विषय तथा माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा से संबंधित विषय में ही अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात् उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी बोर्ड की उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में यदि ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने पूर्व में नहीं लिया है तथा उस विषय में उच्च अध्ययन नहीं करा है तो उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में श्रेणी 4 में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।

श्रेणी V– प्राच्य भाषा की कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी अनिवार्य में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी VI– अंक सुधार हेतु बैठने वाले परीक्षार्थियों को उसी वर्ग एवं विषयों (सम्पूर्ण विषयो में नहीं) के लिए (केवल एक अवसर)

श्रेणी VIII– वर्ग बदलकर पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु केवल उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए।

विशेष :– (i) श्रेणी/अंको में सुधार व वर्ग परिवर्तन कर (Cat II and VI and VIII) केवल इस बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही आगामी वर्ष केवल एक अवसर हेतु उन्ही विषयों में प्रदान किया जावेगा। अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को श्रेणी/अंको में सुधार व वर्ग परिर्वतन हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ii) केवल इस बोर्ड से 10+2 स्कीम से परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अतिरिक्त विषयों हेतु प्रविष्ट हो सकेंगे।

(2) इस बोर्ड या अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद उसी परीक्षा में दोबारा श्रेणी I में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जावेगी। किन्तु यदि वे समकक्ष किसी परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उन्हें प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(3) श्रेणी सुधार अथवा अंकों में सुधार या अतिरिक्त विषय के लिए नियमित परीक्षार्थी के रूप में केवल उनके आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाएं जो इस वर्ष नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। गत वर्ष के आधार पर उन्हें नियमित नहीं माना जायेगा।

(4) उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को जीव विज्ञान अथवा गणित एवं संस्कृत साहित्य विषय में से किसी एक विषय को अतिरिक्त रूप से अपनी नियमित मुख्य परीक्षा के साथ देने की सुविधा प्रदत्त की गई है। अतः जो परीक्षार्थी चौथा अथवा पांचवा विषय भी लेना चाहे, निर्धारित कॉलम में अपना विषय अंकित करें। अतिरिक्त विषय में बैठने के लिए प्रति अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क रु. 450/– अलग से देना होगा। ऐसे परीक्षार्थी, परीक्षा एक सत्र में एक साथ दे सकते है। जो परीक्षार्थी संस्कृत साहित्य विषय लेगें उनके लिए संस्कृत कला वर्ग (वैकल्पिक) का पाठयक्रम/परीक्षा योजना रहेगी। नियमित परीक्षार्थियों को अतिरिक्त लिए गये विषयों का अध्ययन स्वंय के स्तर पर करना होगा एवं उनकी प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। यह अतिरिक्त विषय की सुविधा केवल विज्ञान संकाय के स्वयंपाठी/नियमित परीक्षार्थियों को ही देय होगी। अन्य संकाय के परिक्षार्थियों को नहीं।

(5) **परीक्षार्थी विषयों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा प्रकाशित विवरणिका 2014 का अध्ययन करें। यह बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर भी उपलब्ध है।**

(6) उच्च माध्यमिक परीक्षा में सभी नियमित परीक्षार्थियों को चाहे वे पुनः बैठ रहे हों अथवा अंकों में सुधार हेतु बैठ रहे हो अथवा गत वर्ष में अनुत्तीर्ण रहने पर पुनः बैठ रहे हो, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में पुनः बैठना अनिवार्य होगा चाहे वे पहले प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हों।

(7) परीक्षार्थियों को यह संदेश दे दें कि जिन विषयों का वे विद्यालय में अध्ययन कर रहे है वे आवेदन–पत्र में उनका ही उल्लेख करें। ये विषय वही होने चाहिए जिनमें विद्यालय को मान्यता प्राप्त है। यदि किसी विषय में परीक्षार्थी को स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी गई है तो, आवेदन पत्र व सूची में उसका अंकन करते समय इस बात का उल्लेख कर दें। उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये स्व अध्ययन की अनुज्ञा बोर्ड से लिखित में प्राप्त करना आवश्यक है तथा प्राप्त की गई अनुज्ञा की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। विद्यालय स्तर पर स्वअध्ययन की अनुज्ञा नहीं दी जाए। अतः सत्र प्रारम्भ होते ही ऐसे प्रकरणों को बोर्ड को प्रेषित किये जाएं। निम्नांकित स्थिति में निम्नानुसार अनुमति दी जा सकती है :–

(i) यदि किसी विद्यालय की कक्षा–9 व 10 में तृतीय भाषा के स्वीकृत विषयों में से कोई विषय यदि उस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है, और विद्यार्थी उस विषय को अध्ययन एवं परीक्षा हेतु लेना चाहता है तो उस विद्यार्थी को उस तृतीय भाषा विषय में स्व–अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान द्वारा दी जा सकती है।

(ii) कक्षा–11 या 12 में अधिकतम एक विषय में स्व अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंषा पर बोर्ड कार्यालय द्वारा दी जा सकती है। किन्तु जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है, उन विषयों में सामान्यतः स्व–अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित होने पर भी स्व–अध्ययन करने की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जा सकती है :–

(अ) संगीत (कला वर्ग) (ब) गृह विज्ञान (कला वर्ग) (स) टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग)
स्वअध्ययन शुल्क हेतु परिशिष्ट 6 बिन्दु 9 देखें।

(iii) माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि प्रवेशिका परीक्षा में तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(8) प्रवेशिका परीक्षा में वे ही नियमित परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होंगे जिसने कक्षा–9 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में भी वे ही परीक्षार्थी प्रवेश योग्य होंगे जिसने कक्षा–11 की संस्कृत विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व कक्षा नवी/ग्यारहवीं की अंकतालिका आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक होगा। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि प्रवेशिका परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(9) उच्च माध्यमिक परीक्षा में कला वर्ग के अन्तर्गत संगीत विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों में संगीत विषय के साथ उनकी विधा भी लिखनी है। जैसे संगीत विषय में कोई परीक्षार्थी कण्ठ संगीत की विधा लेता है तो आवेदन पत्र में संगीत (कण्ठ) लिखा जायेगा तथा यदि कोई परीक्षार्थी वाद्य संगीत में कोई वाद्य लेता है तो आवेदन पत्र में संगीत के आगे (वाद्य) कोष्ठक में लिखा जायेगा। इसी प्रकार सितार या वायलिन या बांसुरी या सरोद या इसराज या दिलरूबा में से जिसका चयन किया गया वही लिखा जायेगा। इनके कोड नम्बर आप कोड लिस्ट से देख लें।

(10) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में बैठने वाले सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों को इसी सत्र की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम व परीक्षा योजनानुसार परीक्षा में बैठना होगा।

(11) उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के माध्यम में उत्तर लिख सकेंगे। माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थी अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू अथवा सिन्धी भाषा में उत्तर लिख सकेंगे। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में परीक्षार्थियों को उसी भाषा में या प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही उत्तर देना होगा।

(12) आवेदन पत्रों के साथ विद्यालय प्रधान को इस आशय का प्रमाण भी देना होगा कि जो आवेदन पत्र अग्रेषित किये हैं उनमें अंकित विषय/वर्ग एवं परीक्षा में विद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इस प्रमाण पत्र के साथ मान्यता प्राप्त करने के बोर्ड के पत्रों की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

(13) मूक बधिर परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी (अनिवार्य) एवं तृतीय भाषा एवं उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय में छूट प्रदान की गई है।

(14) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इस बोर्ड की श्रेणी/ अंक सुधार हेतु प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं दें।

(15) श्रेणी/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में निरन्तर में मात्र एक अवसर (एक बार) तक ही प्रदान की जायेगी।

(16) श्रेणी सुधार में प्रविष्ट होने वाले छात्रों को विषय परिवर्तन की सुविधा देय नहीं है।

(17) वर्ष 2011 की परीक्षा से नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिये आयु प्रतिबंध समाप्त कर दिये गये हैं।

(18) जिन परीक्षार्थियों को इस बोर्ड द्वारा अथवा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 अथवा इससे आगे की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया हो उनके आवेदन पत्र किसी भी परीक्षा के लिए न भेजें।

(19) **चेतावनी :–** आप केवल अपने ही विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करें। यदि आपने किसी अमान्यता प्राप्त विद्यालय के अथवा ब्रांच के आवेदन पत्रों को अग्रेषित किया तो इसकी लिखित रिपोर्ट, आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को दी जायेगी व इसे अपराध माना जाकर इसके लिए वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी तथा आपके विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। आप द्वारा अग्रेषित सभी आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

(20) विद्यालय से समय पर न्यून उपस्थिति प्रपत्र प्राप्त नहीं होने पर सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विद्यालयों को भेज दिये जावेंगे। न्यून उपस्थिति वाले एवं नाम पृथक छात्रों के प्रवेश पत्र रोकने (DETAIN) की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी। तत्पश्चात् उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र एवं रोके गये प्रवेश पत्र अविलम्ब बोर्ड कार्यालय को भिजवाना अनिवार्य है।

(21) **निम्नांकित बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखें :–**

(1) कृपया इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भेजी गई अनुदेशिका को भी प्रवेश, परीक्षा पात्रता आदि के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और कार्यवाही करें। माध्यमिक/प्रवेशिका तथा उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2014 के समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षार्थ आवेदन पत्र पर यथा स्थान आपको यह प्रमाणित करना होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने की समस्त योग्यता रखता/रखती है और उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा वर्ष 2014 के लिए यह प्रमाणीकरण भी साथ ही करना होगा कि परीक्षार्थी राजस्थान के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित होकर नहीं आया/आई है और यदि आया/आई है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र बोर्ड से प्राप्त कर लिया गया है, जो मूल रूप से संलग्न है।

(2) नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को 20 प्रतिशत सत्रांक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति अनुसार दिये जायेंगे। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि नियमित रूप से पुनः प्रविष्ट हो रहा है तो इस वर्ष प्राप्त सत्रांक दिये जायेंगे। गत वर्ष के सत्रांकों की पुनरावृति नहीं की जायेगी। स्वअध्ययन की अनुज्ञा प्राप्त परीक्षार्थियों को केवल उस विषय में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के समान अनुपातिक रूप से अंक प्रदान किये जायेंगे।

(3) विद्यालय प्रधानों/अग्रेषण अधिकारी/केन्द्राधीक्षकों को निश्चित कोड आवंटित किया गया है जिसमें जिले, विद्यालय का स्तर आदि की सूचनाएं सम्मिलित होंगी। सभी विद्यालय प्रधान रबड़ सील तैयार करवा लें जिसमें यह कोड भी सम्मिलित किया जाये। बोर्ड से पत्र व्यवहार करते समय भी इस सील का प्रयोग किया जाये।

(22) विस्तृत जानकारी के लिये विवरणिका वर्ष 2014 अवश्य देखें। सूचना बोर्ड वेब साईट www.rajeduboard.nic.in पर भी उपलब्ध है।

परिशिष्ट – 6

अन्य प्रमुख निर्देश

(1) (अ) माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा 9 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।

(ब) उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा–11 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।

(2) कक्षा 9 से 12 तक नियमों में पुनः प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा के बन्धन को समाप्त कर दिया गया है।

(3) नियमित परीक्षर्थियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग्स से बढ़ाकर 25 मीटिंग्स कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जायेगी। शाला प्रधान कुल 25 मीटिंग्स तक की छूट अपने स्तर पर देकर इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेंगे।

(4) दृष्टिहीन, सूर्यमुखी, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता तथा मायोपिया के अतिरिक्त इस वर्ष से विमंदित (अधिगम अक्षम) परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय/श्रुतलेखक दिया जायेगा। श्रुतलेखक की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय योग्य।

यदि आपके विद्यालय में कोई विकलांग व्यक्ति यह सुविधा लेना चाहे तो परिशिष्ट–8 पर संलग्न प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी अनुशंषा सहित मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र परीक्षा प्रारम्भ के दो माह पूर्व कार्यालय को भेजें।

(5) न्यायालय प्रकरण में परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से सात दिवस पूर्व तक न्यायालय के आदेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी परीक्षा व्यवस्था परीक्षार्थियों की सुविधानुसार इनके क्षेत्र में कर दी जायेगी। अन्यथा परीक्षार्थियों को अजमेर मुख्यालय के किसी केन्द्र पर परीक्षा देनी होगी।

परिशिष्ट – 7

शाला प्रधानों को निर्देश
(बाबत विद्यालय के माध्यम से मूल निवास व जाति प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु)

''बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(9) राज/ग्रुप–6/2002/2 दिनांक 18.3.2002 (अप्रेल 2002 के लेखाविज्ञ में भी प्रकाशित) द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थियों से जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर लें और उन्हें संबंधित राजस्व अधिकारियों के पास प्रेषित करें ताकि जब बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो तो उन्हें अंक तालिका के साथ ही जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र वितरित कर दिया जाये। इस मामले में कोई कोताही नहीं की जाये''

विशेष :– जिन परीक्षार्थियों ने आपके विद्यालय में अन्य किसी विद्यालय से स्थानान्तरित होकर प्रवेश लिया है, उनकी पूर्व विद्यालय की टी. सी. तथा अंकतालिका का प्रमाणीकरण जारी करने वाले विद्यालय/संस्था से अवश्य करा लें। यदि फर्जी प्रलेखों के आधार पर प्रवेश पाया गया तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सामान्य निर्देश :–

(6) परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म तिथि में किये गये संशोधन प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश स्वीकार किये जावेगें। उसके पश्चात् किये गये संशोधन आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(7) वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र में विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चित्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों में संशोधन हेतु निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त परीक्षार्थी से रू. 100/– संशोधन शुल्क लिया जावेगा।

(8) वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों को दी गई संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले संशोधनों पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा।

(9) वर्ष 2014 की परीक्षा से यदि विद्यालयों द्वारा नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र में ऐसे विषय भरकर अग्रेषित किया है जिस विषय में विद्यालय को अध्यापन कराने की मान्यता प्राप्त नहीं है और स्वअध्ययन की अनुज्ञा चाहता है तो विद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष अग्रेषित प्रथम दस परीक्षार्थियों से एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जावेगी। 10 छात्रों से अधिक होने पर प्रति छात्र पूर्व व्यवस्थानुसार 2,000/– रू. प्रति छात्र प्राप्त कर ऐसे विषय में स्वअध्ययन की अनुज्ञा देने का प्रावधान है। यदि विद्यालय यही त्रुटि अगले वर्ष दोहराता है तो प्रति छात्र 10,000/– रु. शास्ती शुल्क लिया जावेगा।

(10) विद्यार्थी अपना वर्ग/जाति कोड संख्या सही–सही भरें। यदि जाति कोड संख्या गलत भरी हुई है या कॉलम रिक्त छोड़ा है, तो इसमें संशोधन हेतु दी गयी अवधि पश्चात् परीक्षा परिणाम मेरिट सूची में विद्यार्थियों के जाति/वर्ग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान/अग्रेषण अधिकारी विद्यार्थियों से प्राप्त प्रमाण–पत्रों में जाति/वर्ग का अनिवार्यतः सत्यापन कर लें।

(11) बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में जो जाति श्रेणियां दी गयी है 1. अल्पसंख्यक 2. अनूसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछडा वर्ग 5. विशेष पिछड़ा वर्ग, विद्यार्थी उनमें से केवल किसी एक श्रेणी का ही चयन कर सकता है। अतः जो विद्यार्थी एक से अधिक श्रेणी (Caste Category) से सम्बन्धित है तो उनमें से एक ही वर्ग जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं उस वर्ग का अंकन करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की वरिष्ठता सूची के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कार या छात्रवृत्तियाँ या किसी अन्य लाभ के लिये इस वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग का होने पर भी आपकी गणना इसी वर्ग (बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गये जाति कोड) में ही की जायेगी तथा परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि के पश्चात इसमें किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

विषयों के कोड (उच्च माध्यमिक परीक्षा)

	अनिवार्य विषय	कोड	
1.	हिन्दी	01	
2.	अंग्रेजी	02	
कला वर्ग (ऐच्छिक विषय)			
1.	लोक प्रशासन	06	
2.	अर्थशास्त्र	10	
3.	राजनीति विज्ञान	11	
4.	संस्कृत साहित्य	12	
5.	इतिहास	13	
6.	भूगोल	14	
7.	गणित	15	
8	कंठ संगीत	16	क्रम संख्या 8 से 10 में से कोई दो विषय किन्तु कंठ संगीत एवं वाद्य संगीत में से कोई एक विषय
	अथवा		
	(i) वाद्य संगीत (तबला)	63	
	(ii) वाद्य संगीत (सरोद)	66	
	(iii) वाद्य संगीत (वायलिन)	67	
	(iv) वाद्य संगीत (पखावज)	64	
	(v) वाद्य संगीत (दिलरूबा)	68	
	(vi) वाद्य संगीत (बांसुरी)	69	
	(vii) वाद्य संगीत (सितार)	65	
	(viii) गिटार	70	
9.	चित्रकला	17	
10.	गृहविज्ञान	18	
11.	अंग्रेजी साहित्य	20	
12.	हिन्दी साहित्य	21	क्रम संख्या 12 से 19 में से कोई एक विषय
13.	उर्दू साहित्य	22	
14	सिन्धी साहित्य	23	
15.	गुजराती साहित्य	24	
16	पंजाबी साहित्य	25	
17	राजस्थानी साहित्य	26	
18.	फारसी	27	
19.	प्राकृत भाषा	28	
20.	समाज शास्त्र	29	
21.	दर्शन साहित्य	85	
22.	मनोविज्ञान	19	
23.	कम्प्यूटर विज्ञान	03	क्रम संख्या 23 से 25 में से कोई एक विषय
24.	इन्फॉमेटिक्स प्रेक्टिस	04	
25.	मल्टीमिडिया वेबटेक	05	

	वाणिज्य वर्ग (ऐच्छिक विषय)	कोड	
1.	लेखाशास्त्र (अनिवार्य)	30	
2.	व्यवसाय अध्ययन (अनिवार्य)	31	
3.	हिन्दी शीघ्रलिपि व टंकणलिपि हिन्दी	32व 34	
4.	अंग्रेजी शीघ्रलिपि व टंकणलिपि अंग्रेजी	33व 35	
5.	टंकणलिपि हिन्दी व टंकणलिपि अंग्रेजी	34व 35	
6.	अर्थशास्त्र	10	
7.	गणित	15	
8.	कम्प्यूटर विज्ञान	03	क्रम संख्या 8 से 10 में से कोई एक विषय
9.	इन्फॉमेटिक्स प्रेक्टिस	04	
10.	मल्टीमिडिया वेबटेक	05	
विज्ञान वर्ग (ऐच्छिक विषय)			
1.	भौतिक विज्ञान (अनिवार्य)	40	
2.	रसायन विज्ञान (अनिवार्य)	41	
3.	जीव विज्ञान	42	
4.	गणित	15	
5.	भू विज्ञान	43	
6.	कम्प्यूटर विज्ञान	03	क्रम संख्या 6 से 8 में से कोई एक विषय
7.	इन्फॉमेटिक्स प्रेक्टिस	04	
8.	मल्टीमिडिया वेबटेक	05	
कृषि वर्ग (ऐच्छिक विषय)			
1.	कृषि (अनिवार्य)	84	
2.	जीव विज्ञान (अनिवार्य)	42	
3.	भौतिक विज्ञान	40	
4.	रसायन विज्ञान	41	
5.	गणित	15	
6.	कम्प्यूटर विज्ञान	03	क्रम संख्या 6 से 8 में से कोई एक विषय
7.	इन्फॉमेटिक्स प्रेक्टिस	04	
8.	मल्टीमिडिया वेबटेक	05	

नोट :– (1) कंठ संगीत अथवा वाद्य संगीत, चित्रकला एवं गृह विज्ञान में से कोई दो विषय लिए जा सकते हैं।

(2) कंठ संगीत अथवा वाद्य संगीत में से एक विषय लेना है तथा वाद्य संगीत में किसी एक वाद्य का चयन करना है।

परिशिष्ट – 8

परीक्षा में एक घण्टा अतिरिक्त दिये जाने तथा श्रुतलेखक के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

विकलांग परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए 2006 की परीक्षा से एवं विमंदित (अधिगम अक्षम) परीक्षार्थियों का वर्ष 2011 की परीक्षा से एक घंटा अतिरिक्त दिये जाने एवं लिखने में असमर्थ विकलांग को श्रुतलेखक के साथ एक घंटा अतिरिक्त दिये जाने हेतु निम्नानुसार न्यूनतम विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है –

रोग	आवश्यक असक्षमता	रोग प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय/ मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड)	प्रति हस्ताक्षरित
एक घंटा अतिरिक्त			
1. सूर्यमुखी/मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आँख की रोशनी बाधित हो।	40% दृष्टि विकलांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	40% विकलांगता	मनो चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांगता	40% विकलांगता	अस्थिरोग चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ. /मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. मूक बधिर	40% विकलांगता	नाक, कान, गला, चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ. /मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
श्रुतलेखक दिये जाने के क्रम में			
1. दृष्टिहीन	75% एवं इससे अधिक दृष्टि विकलांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ. /मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	75% एवं इससे अधिक शारीरिक असक्षमता	बोर्ड जिसमें एक मनोचिकित्सक व अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ. /मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांगता	लिखने मे असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ पी.एम.ओ./मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. आकस्मिक दुर्घटना	लिखने में असक्षमता	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. /मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
5. विमंदित (अधिगम अक्षमता)	Moderate व Severe श्रेणी	मनोचिकित्सक	राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर

नोटः– 1. प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एम.ओ., मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

2. उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र जिनसे बोर्ड की शर्ते पूर्ण होती हों, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जाती है।

3. पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के कारण परीक्षार्थी की स्वयं लिखने की दक्षता सामान्य से 40 प्रतिशत न्यून है अथवा स्वयं लिखने में असमर्थ है।

4. विमंदित (अधिगम अक्षमता) परीक्षार्थियों को Mild, Moderate व Severe तीन श्रेणीयों में विभक्त किया गया है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर परीक्षार्थी को परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त/श्रुतलेखक दिया जायेगा।

5. प्रमाण–पत्र पर रोगी का फोटो होना आवश्यक है।

6. श्रुतलेखक की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय होगा।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप पृष्ठ भाग पर मुद्रित है। उक्त प्रारूप के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही उपरोक्त सुविधा दी जा सकेगी। अतः कृपया सभी सम्बन्धित परीक्षार्थियों को उपरोक्तानुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकें। प्रायः देखने में आया है कि केन्द्राधीक्षक महोदय चिकित्सालय की इलाज की पर्ची अथवा रुग्णता प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक दे देते हैं जो नियमानुसार सही नहीं है।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम विकलांगता का प्रमाण– पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये बिना इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा। समस्त केन्द्राधीक्षक महोदय कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें तथा मूल प्रलेख/प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर परीक्षा प्रारम्भ के एक माह पूर्व तक पुष्टि करा लें।

इस परिपत्र की फोटो प्रति कृपया (Notice Board) नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करावें।

7. अन्य जानकारी हेतु बोर्ड कन्ट्रोल रूम में निम्न दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

–: सम्पर्क सूत्र :–

पदनाम	नाम	फोन नं. कार्यालय
सचिव	श्री एम. आर. शर्मा	0145–2420597
मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)	श्री आर. बी. गुप्ता	0145–2420071
ए.सी.पी. (उपनिदेशक) ऑनलाईन आवेदन–पत्र पूछताछ हेतु	श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट	0145–2627454
उप निदेशक (परीक्षा)	श्री शिव शंकर अग्रवाल	0145–2622877

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT
MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY

(Specified in Section 2 (b) (e)(l)(n)(o)(q)(r)(t) and (u) of the persons with disabilities Act. 1995, CH. ll of the persons with disabilities Rules 1996, Notification of the Govt. of India In the Ministry of Welfare No-4-2/83-HW III date 6th August, 1986 and circular No. P-16/5/MH/2/98 dated 30/6/ 2000 Medical & Department Government of Rajasthan.

Certificate No. ..../ Date ....

Name of Hospital

DEPARTMENT OF OCTORUINO LARYNGOLOGY
....
....

This is to certify that Shri/Smt./Km. ....whose particulars are furnished below. is bonafide "Person with Disability" ORTHOPADICALLY/ VISUALLY/HEARING IMPAIRMENT/MENTALLY/LEPROSY CURED PERSON

PARTICULARS OF THE DISABLED PERSON

FATHER'S/ HUSBAND'S NAME ....

GENDER .... *AGE* ....

ADDRESS ....

....

IDENTIFICATION MARK ....

HISTORY OF ILLNESS/TRAUMA WITH DURATION...

....

AGGREGATE PERCENTAGE OF THE PERMANENT DISABILITY...

(I) HE/SHE HAS 40% DISABILITY IN DOMINENT HAND

or

(II) HE/SHE IS UNABLE TO WRITE HIMSELF
(In case of Polio/Paralysis/by birth disablity and accident)
(✓and Signature as applicable)

Signature
Thumb Impression
of the Disabied Person

Place :
Date

Issued by : Signature
Name :
Seal

Counter signed by :
Signature
Name
Seal

Note :-
1. Aforesaid Person with disability is eligible to apply for facilities concessions and benefit admissible under Schemes of the Govt./Non. Govt. organization subject to such condition as the Central or the State Government may Issue.
2. In case of Polio/Paralysis/by Birth disability and accident, please mention clearly that He/She has 40% disability in dominent hand or unable to write himself.